न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 99/2021 बउनवानी आकिफ खान बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री छोटे लाल मुसलमान निवासी मिर्जा मोहल्ला शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/293

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
23.12.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. नकल सीमाज्ञान एवं सर्वे रिपोर्ट दिनांक 10.1.2020 आराजी ख0न0 373 नया नम्बर ख0न0 1051 रकबा 134.84 वाके ग्राम नीमली खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर जो तहसीलदार पटवारी हल्का सवाईमाधोपुर द्वारा तैयार की गयी है । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./21/6808 दिनांक 7.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित दस्तावेज तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनंक 26.8..2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है ओर ना ही अधिनियम की तय समय सीमा मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। तथा सूचना उपलब्ध नही करवाने का कोई विधिसंगत कारण भी अपने जवाब मे अंकित नही किया है। क्योकि साबिक ख0न0 373 नया ख0न0 1051 रकबा 134.87 है0 वाके ग्राम नीमली खुर्द का दिनांक 10.1.2020 को किये गये सीमाज्ञान की रिपोर्ट तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होना तहसील कार्यालय के कार्मिक की लापरवाही की श्रेणी मे आता है। अतः अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। तथा सूचना अब तक उपलब्ध नही करवाने के लिए संबंधित कार्मिक की जिम्मेदारी तायद कर संबंधित दोषी अधिकारी/कार्मिक [illegible] कार्यवाही प्रस्तावित कर जिला कार्यालय को भिजवावे। उक्त निर्देश के साथ [illegible] अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2022.01.17 18:02:53 IST Reason: SelfAttested (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर